खाता नं०-25
15/8/13

प्रपत्र-193

ग्रामका नाम	खातेदार का नाम/पिता का नाम	खाता खतौनी नम्बर	रकबा जो आबादी को होना है	लगान	रकबा जितने पर आबादी को होना है (अ) प्लाट संख्या	(ब) रकबा	जिस रकबा पर आबादी को बनाई पूर्ण विवरण	विशेष विवरण
दाउदपुर	[illegible]	627	1179मि 0.703	15.15	1179मि	0.703		
	[illegible]	626	1180 0.044		1180	0.044		
	[illegible]		1181मि 0.341	9.30	1181मि	0.341		
	[illegible] दाउदपुर		योग 1.088	24.95	3 किता	1.088		

महोदय,

ग्राम दाउदपुर [illegible] खाता सं० 627 गाटा सं० 1179मि/0.703 है। खाता सं० 626 गाटा सं० 1180/0.044 है व 1181मि/0.341 है। कुल रकबा 1.088 है० लगान 24.95 [illegible]

[illegible] खाता सं० 627 गाटा सं० 1179मि/0.703 है० खाता सं० 626 गाटा सं० 1180/0.044 है० 1181मि/0.341 है० कुल क्षेत्रफल 1.088 है० लगान 24.95 [illegible]

15-8-15

श्रीमान जी,

ग्राम दाउदपुर [illegible] खाता नं० 627 गाटा संख्या 1179मि/0.703 खाता संख्या 626 गाटा संख्या 1180/0.044 व 1181मि/0.341 कितना 1.088 है० लगान 24.95 [illegible]

अतः खाता संख्या 627 गाटा सं० 1179मि/0.703 खाता सं० 626 गाटा संख्या 1180/0.044 व 1181मि/0.341 कुल [illegible] 1.088 है० लगान 24.95 [illegible]

17/8/13

732 [illegible] 17-8-2013

19.9.012

SDO/SDM (A)

[illegible] 24.4.18
[illegible] 200
[illegible] 400

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्र० : 67010209139   ग्राम का नाम : दाउदपुर   परगना : अकबरपुर   तहसील : अकबरपुर

जनपद : अम्बेडकरनगर   फसली वर्ष : 1421-1426   भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00408	राजबक्श सिंह स्मारक महाविद्यालय सन्तबक्शनगर दाउदपुर द्वारा संचालित द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान(ट्रस्ट)	प्र0रवीन्द्र कुमार सिंह	ग्राम व पोस्ट दाउदपुर	1420फ0 1395फ 1420फ0	1179मि0 1180 1181कमि	0.7030 0.0440 0.3410	44.00	1421फ0 आदेशानुसार उप जिलाधिकारी महोदय अकबरपुर द्वारा परवाना अमलदरामद राजबक्श सिंह स्मारक महाविद्यालय संतबक्श नगर दाउदपुरद्वारा संचालित द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान (ट्रस्ट) द्वारा रवीन्द्र कुमार बनाम सरकार वाद सं0 235 अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0 मौजा दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर आदेश दिनांक 19-09-13 को आदेश हुआ कि ग्राम दाउदपुर के खतौनी वर्ष 1415- 20फ0 के खाता सं0626 के गाटा सं0 1180/ 0.044, 1181क मि / 0.341हे0तथा खाता सं0 627 के गाटा सं0 1179मि / 0.703हे0 को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य के इतर घोषित किया जाता है। ह0र0का0 24-09-13/ 24-09-1	
			कुल गाटे : 3	कुल क्षे :		1.0880			

कम्प्यूटर केन्द्र तहसील अकबरपुर

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

र0 का0/रा0रा0का0

तह0 अकबरपुर-अम्बेडकर नगर

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर,अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय संतबख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर———बनाम——शिवशंकर सिंह आदि।

वाद संख्या–189
अन्तर्गत धारा–176ज0वि0अधि0
मौजा– दाउदपुर।
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय संतबख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा न्यायालय में अन्तर्गत धारा 176 ज0वि0अधि0 के तहत पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 में पारित किया गया। चिटठा बंटवारा हेतु सम्बन्धित लेखपाल को तलब कर चिट्ठा बंटवारा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा स्थल निरीक्षण कर दिनांक 08.07.2014 प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.07.2014 को संलग्न पत्रावली है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन से स्पष्ट है कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 08.07.2014 एवं दौरान मुकदमा कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 08.07.2014 की पुष्टि की जाती है। यह आदेश का अंग होगा। ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 के खाता संख्या 627 के गाटा संख्या 1179/0.703हे0, व खाता संख्या 626 के गाटा संख्या 1181क/0.341हे0 वादी का अंश घोषित किया गया है किन्तु क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 08.07.2014 से स्पष्ट है कि वादी के नाम खतौनी वर्ष 1421–1426 के खाता संख्या 408 के गाटा संख्या 1179मि/0.703हे0, 1180/0.044हे0, 1181कमि/0.341हे0 प्रस्तुत वर्तमान खतौनी से स्पष्ट है कि पूर्व से ही राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय संतबख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के नाम अलग खाता कायम है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15.7.14
असिस्टेन्ट कलेक्टर,
अकबरपुर।

आज दिनांक 15.7.14 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

15.7.14
असिस्टेन्ट कलेक्टर,
अकबरपुर।

15.7.14

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय सन्त बख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह...बनाम......................
....शिवशंकर सिंह आदि।

वाद संख्या–189
अन्तर्गत धारा–176ज0वि0अधि0
मौजा–दाउदपुर।
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद में राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय सन्त बख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर, द्वारा ज0वि0अधि0 की धारा 176 के अन्तर्गत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि खतौनी 1415 ता 1420 फसली खाता संख्या 627 के गाटा संख्या–1179/0.703हे0 व खाता संख्या 626 के गाटा संख्या 1180/0.044हे0 व 1181क/0.354हे0 स्थित ग्राम दाउदपुर, परगना व तहसील अकबरपुर का सह संक्रमणीय भूमिधर है। सम्बन्धित भूखण्ड संयुक्त भूमिधरी के खाते में अंकित है जिसका विधिक बटवारा किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद पंजीकृत किया गया। पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो संलग्न पत्रावली है। वादी ने वाद पत्र में यह कहा है कि सूची अ तथा सूची ब में दिया गया है, जो वाद पत्र का ही अभिन्न अंश है, वादी सूची अ की जायजाद का वादी हमराह प्रतिवादी संख्या 01 व सूची ब की जायजाद का हमराह प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 संक्रमणीय भूमिधर है और काबिज व दखील है। वाहमी बटवारे के अन्तर्गत आराजी मुन्दर्जे सूची अ में वादी का अंश 0.703हे0 दक्षिण पूरब तरफ, व सूची ब की जायदाद में गाटा संख्या 1181 में दक्षिण तरफ व 1180 सम्पूर्ण है। आराजी में कानूनी बंटवारा न होने के कारण प्रायः विवाद हो जाया करता है। जिससे दावा दायर करना आवश्यक हो गया।

वादी अपने साक्ष्य में नकल खतौनी दस्तावेज बैनामा दाखिल किया है। न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण 01 व 05 की तरफ से जवाब दावा दाखिल किया गया है। जवाबदावा में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दावावादी डिकी करने किये जाने की बात कही है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त पर पक्षों में विभाजन किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है, कि ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी 1415 ता 1420 फसली खाता संख्या 627 के गाटा संख्या–1179/0.703हे0 व खाता संख्या 626 के गाटा संख्या 1181क/0.341हे0 वादी का अंश घोषित किया जाता है। प्रारम्भिक डिकी बनायी जाय। चिट्ठा बंटवारा हेतु क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.10.2013 तक चिटठा दटवारा एवं रंगभेदी नक्शा प्रस्तुत करे। पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

ह0 23.9.013
असिस्टेन्ट कलेक्टर,
अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

आज दिनांक 23.09.2013 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से उदघोषित किया गया।

ह0 23.9.013
असिस्टेन्ट कलेक्टर,
अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

सत्य प्रतिलिपि
18/7/14
S D O / S D M / A

प्रारम्भिक डिक्री

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर, अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

तारीख मरजुआ 08.04.2013

वाद संख्या–189

अन्तर्गत धारा 176 ज0वि0अधि0

मौजा–दाउदपुर।

परगना व तहसील अकबरपुर।

जनपद अम्बेडकरनगर।

आदेश दिनांक 23.09.2013

01.राजबख्श सिंह स्मारक महाविद्यालय संतबख्श नगर दाउदपुर संचालित द्वारा द्वारिका सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा प्रबन्धक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर-जनपद अम्बेडकरनगर ....वादी।

बनाम

01.शिवशंकर सिंह पुत्र संतबख्श सिंह।

02.अमरेन्द्र बहादुर सिंह।

03.रवीन्द्र कुमार सिंह।

04.वीरेन्द्र कुमार सिंह।

05.सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण शिवशंकर सिंह समस्त निवासी गण ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर...प्रतिवादीगण।

—

दावा वादी अन्तर्गत धारा 176 ज0वि0अधि0 बाबत विवादित खतौनी वर्ष 1415– 1420 के खाता संख्या 627 के गाटा संख्या 1179/0.703है0 व खाता संख्या 826 के गाटा संख्या 1180/0.044है0, व 1181क/0.354है0 स्थित ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, जिसे वादी द्वारा निम्नलिखित उपशम की याचना की गयी है।

अ–डिक्री बंटवारा जरिये दखल जुदागाना बावत विवादित भूमि मुन्दर्ज सूची अ बकबदर अंश वादी रकबा 0.703है0 व बाबत विवादित भूमि मुन्दर्ज सूची ब बकदर हिस्सा वादी रकबा———0.341है0 विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाय।

ब–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स–दीगर या मजीद दादरसी जो करीन इन्साफ हाजा हो वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

यह वाद वास्ते फैसल आखीर समक्ष न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में प्रस्तुत होकर आदेश हुआ कि ग्राम दाउदपुर परगना व तहसील अकबरपुर खतौनी वर्ष 1415–1420 के खाता संख्या 627 के गाटा संख्या 1179/0.703है0 व खाता संख्या 626 के गाटा संख्या 1181क/0.341है0 वादी का अंश घोषित किया जाता है।

खर्चा मुकदमा

टिकट कोर्ट फीस मय तलबाना	वादी	प्रतिवादीगण
01. वाद पत्र	7.00	—
02. तलबाना	4.00	—
03. वकालतनामा	2.00	—
04. शपथ पत्र	20.00	—
05. वकालतनाम	—	2.00
06. रिकाल प्रार्थना पत्र	2.00	—
07.रिकाल प्रार्थना पत्र	2.00	—
योग–	37.00	2.00

आज दिनांक को दिनांकित एंव हस्ताक्षरित करके जारी किया गया।

हस्ताक्षर डिक्री नवीस

असिस्टेन्ट कलेक्टर,
अकबरपुर।

15.7.14

सत्य प्रतिलिपि
18/7/14
S.O. SDM (A)